

फर्द अहकाम

रामा बनाम (पत्नी) कांत

नाम न्यायालय साहपुर

केस संख्या 104/2024

31045

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	16/1/26	<p>उपरोक्त पक्ष उपस्थित / अभिभाषक संघ ने न्यायिक कार्य स्थगित रखा / PO साहब अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है। पत्रावाली गत आदेशानुसार दि. 23/2/26 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(रीडर)</p>
23/2/26		<p>उपरोक्त पक्ष उपस्थित / अभिभाषक संघ ने न्यायिक कार्य स्थगित रखा / PO साहब अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है। पत्रावाली गत आदेशानुसार दि. 13/3/26 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(रीडर)</p>
13/3/26		<p>उपरोक्त पक्ष उपस्थित / अभिभाषक संघ ने न्यायिक कार्य स्थगित रखा / PO साहब अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है। पत्रावाली गत आदेशानुसार दि. 14/5/26 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(रीडर)</p>
14/5/26		<p>पत्रावाली पेश हुई वहील उक्त पक्ष उपस्थित वहील उक्त पक्ष द्वारा उपपन्न अस्थायी निषेधाज्ञा पर वहील की गयी वहील उक्त पक्ष की वहील हुनी गयी। वहील परमनन किता जगता पत्रावाली का अवलोकन किता जगता) अवलोकन उपरान्त जाहिर होता है कि इस वाद के बारे में मूल के निस्तारण तक उपपन्न अस्थायी निषेधाज्ञा के स्थायी किता जाना उचित समझते हैं।</p> <p>इस वहील उपपन्न अस्थायी निषेधाज्ञा के मूल वाद के निस्तारण तक स्थायी किता जाकर दोनों पक्षों को बाबन्द किता जाता है कि वे राजस्व निकाल एवं भांडों की भयाहित वनाम रखें पत्रावाली फलतः हुनार होकर नम्बर से कम होकर मूल वाद के अन्तिम रहे।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी साहपुर (जयपुर) राज.</p>